



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062022-236852
CG-DL-E-27062022-236852

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2756]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2022/आषाढ़ 6, 1944

No. 2756]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2022/ASHADHA 4, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2022

का.आ. 2896(अ).— केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इस में इसके अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् की आंध्रप्रदेश राज्य के वाई एस आर कडप्पा जिले में कि.मी. 0.000 से कि.मी. 121.930 तक भू खण्डमें एनएच 716 के कडप्पा से रेनीगुंटा खंड के (चौड़ा करने /पक्की कंधे / चार लेन आदि के साथ दो लेन), रखरखाव, प्रबंधन और संचालन आंध्र प्रदेश एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करता है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉयंट कलेक्टर, ब्राइ . एंस् . आर् कडप को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में वाईएसआर कडप्पा जिले में कि.मी. 0.000 से कि.मी. 121.930 तक (कडप्पा से रेनीगुंटा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संरक्षित विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: वाई एस आर (कडपा)			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कडप					
गांव का नाम: चिन्नाचौको					
1	1035	सरकारी	पटसल	440.0000000(वर्ग मीटर)	0.0440000
2	1037	सरकारी	हिल	1,980.0000000(वर्ग मीटर)	0.1980000
3	1084	सरकारी	हिल	11,440.0000000(वर्ग मीटर)	1.1440000
4	1108	सरकारी	ए डबल्यू	1,650.0000000(वर्ग मीटर)	0.1650000
5	1109	सरकारी	ए डबल्यू	5,060.0000000(वर्ग मीटर)	0.5060000
6	1110	सरकारी	पोरम्बोक	3,520.0000000(वर्ग मीटर)	0.3520000
7	1111	सरकारी	पोरम्बोक	2,640.0000000(वर्ग मीटर)	0.2640000
8	1112	सरकारी	पोरम्बोक	1,870.0000000(वर्ग मीटर)	0.1870000
कुल				28,600.0000	2.8600

[फा. सं. PIU-TPT/18016/NH-716/3a/2019/278 Kadapa District/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2022

S.O. 2896(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Kadapa to Renigunta section of NH716 in the stretch of land from Km 0.000 to Km 121.930 in the district of Y . S . R . Kadapa in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Joint Collector, Y . S . R Kadapa in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH716 in the stretch of land from Km 0.000 to Km 121.930 section of NH716 in the district of Y . S . R . Kadapa in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH		District: Y . S . R . (Kadapa)			
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Kadapa					
Village: Chinnachowk					
1	1035	Government	Patasala	440.0000000(Square Meter)	0.0440000
2	1037	Government	Hill	1,980.0000000(Square Meter)	0.1980000
3	1084	Government	Hill	11,440.0000000(Square Meter)	1.1440000
4	1108	Government	A W	1,650.0000000(Square Meter)	0.1650000
5	1109	Government	A W	5,060.0000000(Square Meter)	0.5060000
6	1110	Government	Poramboke	3,520.0000000(Square Meter)	0.3520000
7	1111	Government	Poramboke	2,640.0000000(Square Meter)	0.2640000
8	1112	Government	Poramboke	1,870.0000000(Square Meter)	0.1870000
Total				28,600.0000	2.8600

[F. No. PIU-TPT/18016/NH-716/3a/2019/278 Kadapa District/3A]

RAJESH GUPTA, Director